.न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— पंकज कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या :— 38/2023

वादी—

हुकम सिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी सोढों की ढाणी सूरसागर जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण—

1. जयसिंह पुत्र मगसिंह माली निवासी सूरसागर जोधपुर।
2. जेठू सिंह पुत्र स्व. कानाराम जी माली कच्छावाह निवासी रूपावतों का बेरा, कालीबेरी जोधपुर।
3. इन्द्रसिंह पुत्र हजारीमल जी माली गहलोत निवासी रूपावतों का बास, सूरसागर।
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र उदाराम निवासी भाकरी बास, सूरसागर जोधपुर।
5. श्रीमती चंपा देवी धर्म पत्नी स्व. ओमप्रकाश जी माली निवासी सूरसागर जोधपुर।
6. भगवान सिंह पुत्र स्व. ओम प्रकाश माली निवासी सूरसागर, जोधपुर।
7. खनिज अभियंता, खान एवं भू—विज्ञान विभाग जोधपुर।
8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांकः— 4/9/24.

अधिवक्तागणः —

1. वादीगण/अप्रार्थी की और से अधिवक्तागण श्री ओ.पी. मेहता, एस.आर. चौधरी उपस्थित ।
2. प्रार्थी/प्रतिवादी सं.1 की और से अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार दवे,डॉ संजना धाणदिया उपस्थित।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया हुआ है जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी की अभिलिखित खातेदारी की भूमि राजस्व गांव गोलासनी जोधपुर के खसरा सं. 1/1 0.02 बीघा, खसरा सं. 2/1 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं. 4/1/1 रकबा 9 बीघा, खसरा सं. 4/4/1 रकबा 0.02 बीघा कुल 15 बीघा 14 बिस्वा है। उपरोक्त हस्तांतरण के पश्चात् वादी ही वर्तमान 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रतिवादीगण पत्थर व्यवसायी हैं जबकि वादी पेशेवर कृषक है।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

प्रतिवादी सं. 2 से 6 ने वादी को चंगुल में फंसाकर एक भागीदारी फर्म मै. हुकमसिंह एण्ड कंपनी का भागीदारी विलेख निष्पादित करवाया एवं खसरा सं. 2 एवं 4 की कुल 4 हेक्टर भूमि के संदर्भ मं एक क्वेरी लाईसेंस सं. 11/99 जारी करवाया। प्रतिवादी सं. 1 उस भागीदारी विलेख में भागीदार नहीं था एवं न ही वह खसरा सं. 4 एवं 2 के किसी भाग का खातेदार है। क्वेरी लाईसेंस सं. 11/99 की शर्तों की प्रतिवादीगण द्वारा पालना नहीं करने के कारण उनके विरुद्ध समय–समय पर खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती रही एवं भागीदारी के बीच विवाद बढ जाने के कारण एवं लाईसेंस की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण उक्त क्वेरी लाईसेंस सं. 11/99 दिनांक 03.02.2016 को अंतिम रूप से निरस्त कर दिया गया। प्रतिवादी सं. 1 प्रभावशाली खनन माफिया का सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 अन्य प्रतिवादीगण 2 से 6 के सहयोग से वादी की खसरा सं. 4 की लगभग 9 बीघा भूमि पर गैर कानूनी रूप से खनन कार्य कर रहे हैं। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा खसरा सं. 4 मी. रकबा 2.08 बीघा एवं प्रतिवादी सं. 4 द्वारा खसरा सं. 2/1 2.06 बीघा क्रय की गई भूमि से बाहर आकर गैर कानूनी खनन कर रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 खसरा सं. 4 और खसरा सं. 2 के किसी भाग का खातेदार नहीं है फिर भी उक्त खसरों पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में प्रतिवादीगण को अवैध खनन बंद करने हेतु कहा गया तो प्रतिवादी ने वादी को जान से मारने की धमकी दी। वादी वर्ष 2017 से अपने खातेदारी की भूमि पर काश्त करने से वंचित है तथा प्रतिवादीगण, वादी की खातेदारी की 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर गैर कानूनी रूप से काबिज है एवं खनन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा दावा बाबत् बेदखली, मीनस प्रोफिट व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजूदा वाद न्यायालय हाजा के समक्ष बाबत् बेदखली मिन्स प्रोफिट एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु ग्राम गोलासनी के खसरा सं. 1/1 रकबा 0.02 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा सं. 2/1 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं. 4/1/1 रकबा 9 बीघा, खसरा सं. 4/4/1 रकबा 0.02 बीघा कुल रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा हेतु प्रस्तुत किया हुआ है। राज. काश्तकारी अधिनियम धारा 5 (24) के अनुसार उन भूमियों के संबंध में ही वाद का श्रवणाधिकार है, जिन भूमियों का उपयोग कृषि उपयोग किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमियों बाबत् खनन विभाग द्वारा खनन कार्य किए जाने की अनुमति क्वारी लाईसेंस सं. 11/99 के जरिए वर्ष 1999 में जारी की गई थी। बकौल वादी वादग्रस्त भूमियों पर आज दिन तक निरंतर रूप से खनन कार्य किया भी गया है। जिससे यह सिद्ध होता है कि वादग्रस्त भूमियों पर लगभग 25 वर्षों तक निरंतर खनन कार्य किया गया है। ऐसी स्थिति में यह सर्वथा मिथ्या

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सिद्ध हो जाता है कि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप वर्तमान में कृषि स्वरूप हो। चूंकि वादग्रस्त भूमि न तो कृषि भूमि रही है एवं न ही वादग्रस्त भूमि का स्वरूप कृषि स्वरूप है एवं वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमियों पर खनन कार्य किया जा रहा है इस कारण न्यायालय हाजा को मौजूदा वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से मौजूदा वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया एवं अधिवक्ता वादी को प्रार्थना पत्र की नकल दिलवायी गयी । अधिवक्ता वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलवायी गयी, एवं जवाब शामिल मिशल किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का अपने जवाब के द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन करते हुए कथन किया कि राजस्व न्यायालय की अधिकारिता कृषि भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद की सुनवाई के संबंध में है, धारा 5 (24) राज. काश्तकारी अधिनियम न्यायालय की अधिकारिता का निर्धारण नहीं करती, बल्कि इस धारा में भूमि को परिभाषित किया गया है, राजस्व न्यायालय की अधिकारिता का निर्धारण धारा 207 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं इसके तहत बनी तृतीय अनुसूचि से निर्धारित होता है। वर्तमान वाद में भूमि स्वीकृत रूप से कृषि भूमि है, जो जमाबंदी के इन्द्राजों से स्पष्ट है। इस कारण इस भूमि पर से बेदखली संबंधी वाद की सुनवाई तृतीय अनुसूचि के क्रम सं. 23 के अनुसार राजस्व न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। वर्तमान मामले में कृषि भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा अवैध खनन कार्य किया जा रहा है, जिन अतिक्रमियों की बेदखली हेतु वाद की सुनवाई केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। वादी ने अपने खातेदारी की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा अवैध खनन कार्य किए जाने से उनकी बेदखली हेतु वाद पेश किया गया है। इस पद में जिस खनन क्वारी लाईसेंस 11/99 का उल्लेख है, वह लाईसेंस वर्षों पूर्व निरस्त कर दिया गया। यदि वर्तमान में प्रतिवादीगण कोई खनन कार्य करना बता रहे हैं तो यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 177 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अविवादित रूप से विवादित भूमि कृषि भूमि है, प्रतिवादीगण द्वारा इस भूमि के कृषि स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है। प्रतिवादी ने केवल वाद में जवाब दावा पेश करने में विलंब कारित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी बिंदु का भी निर्णय जवाब दावा पेश करने के पश्चात् वाद बिंदू कायम करने एवं शहादत दर्ज करने के पश्चात् ही किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी का खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11, सपठित 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मौखिक बहस के समर्थन में लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि मौजूदा वाद वादी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष बाबत बेदखली मिन्स प्रोफिट एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु ग्राम गोलासनी के खसरा नं0 1/1 रकबा 0.02 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं0 2/1 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 4/1/1 रकबा 9 बीघा, खसरा नं0 4/4/1 रकबा 0.02 बीघा कुल रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा विकय किये जाने के उपरांत उसके हिस्से मे 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि शेष रही। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 06 ने वादी के साथ भागीदारी फर्म का गठन करते हुए खनन विभाग से वादग्रस्त भूमि बाबत् क्वेरी लाईसेंस संख्या 11/99 जारी करवाया गया एवम् निरंतर रूप से खनन कार्य भी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 भागीदारी विलेख में भागीदार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा शर्तों की पालना नहीं करने एवम् भागीदारान के बीच विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण दिनांक 03.02.2016 को उक्त क्वेरी लाईसेंस संख्या 11/99 अंतिम रूप से निरंस्त कर दिया गया। प्रतिवादीगण निरंतर रूप से खनन कार्य जारी रखे हुए है जिस सबंध में खनन विभाग ने प्रतिवेदन पेश करने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से रात–दिन खनन करते हुए खनन सम्पदा बेच रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 से 06 वादग्रस्त भूमि पर महज अतिकमी है जो प्रभावशील व्यक्ति है। अन्य तथ्यों के आधार पर बेदखली 5,00,000/– रुपये प्रतिमाह के मिन्स प्रोफीट तथा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण के वाद पत्र के अवलोकन मात्र से ही यह सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि का अस्तित्व वर्ष 1999 से कृषि भूमि नहीं रहा है। बकोल वादी क्वेरी लाईसेंस संख्या 11/99 के जारी होने के पश्चात् वादग्रस्त भूमियों पर आज दिन तक निरंतर रूप से खनन कार्य किया गया है। न्यायालय हाजा को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (24) के अनुसार केवल मात्र उन भूमियों के संबध में ही किसी भी विवाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है जिनका उपयोग कृषी उपयोग हेतु किया जा रहा हो। धारा 5 (24) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार–" भूमि" से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृषि–कार्यो अथवा तद्धीन अन्य कार्यों या उपवन या चरागाह के लिए पट्टे पर दी जाय या धारण की जाय तथा उसमें भूमि क्षेत्र उस स्थित मकानों या बाड़ो की भूमि अथवा उस पानी से ढकी भूमि सम्मिलित होगी जो संचाई के लिए अथवा सिंघडा या तत्समान अन्य उपज उगाने के लिए काम में ली जा सके परन्तु उसमें आबादी भूमि सम्मिलित नहीं होगी, उसमें जमीन से सलग्न अथवा जमीन से संलग्न किसी वस्तुत से स्थाई तौर पर संबद्ध वस्तुओ से होने वाले लाभ सम्मिलित होंगे। राजस्थान काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में यदि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का अवलोकन किया जाता है तो इससे यह सिद्ध है कि बकोल वादी वादग्रस्त भूमियो पर आज दिन तक निरंतर रूप से खनन कार्य किया जा रहा है। वाद पत्र के अभिवचनों के अनुसार भी विगत 25 वर्षों से निरंतर खनन कार्य जारी है। ऐसी स्थिति में यह सर्वथा मिथ्या सिद्ध हो जाता है कि भूमि का स्वरूप वर्तमान में कृषि स्वरूप हो। चूंकि वादग्रस्त भूमि न तो कृषि भूमि रही है एवम् न ही वादग्रस्त भूमि का स्वरूप भी कृषि स्वरूप है एवम् वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा है ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी नहीं रह जाता है। जहां वादग्रस्त भूमि धारा 5 (24) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में परिभाषित भूमि की श्रेणी में आती हैं वहा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। चूंकि मौजूदा वाद में वादग्रस्त भूमि का स्वरूप वाद पत्र के पठन मात्र से ही कृषि भूमि नहीं है ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू ही नहीं होते है जिस कारण न्यायालय हाजा को मौजूदा वाद का श्रवणाधिकार भी नहीं रह जाता है। वादग्रस्त भूमि का कृषि स्वरूप वाद पत्र मे अभिवचन अनुसार वर्ष 1999 से ही नष्ट हो चुका है। किसी अन्य प्रावधान के उपलब्ध रहने के आधार पर हस्तगत वाद की पोषणीयता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहां वाद पत्र के अभिवचन के अनुसार ही वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिनुसार पोषणीय नही रह जाता है तो तनकीयात विचरित किये जाने एवम् साक्ष्य रेकर्ड किये जाने की न तो आवश्यकता रह जाती है एवम् न ही पक्षकारान् को विधि विरूद्ध विचारण हेतु बाध्य भी किया जा सकता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिनुसार पोषणीय नही होने के कारण निरस्त फरमाया जावें।

वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र बाबत् लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय हाजा को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (24) के अनुसार जिन भूमियों का उपयोग कृषि उपयोग हेतू किया जा रहा हैं, उनके सम्बन्ध में ही श्रवणाधिकार प्राप्त होने एवं वादग्रस्त भूमियों बाबत् खनन विभाग द्वारा खनन कार्य किये जाने की अनुमति क्वारी लाईसेंस संख्या 11/99 के जरिये वर्ष 1999 में जारी करने, भूमियों पर निरन्तर खनन कार्य करने, वर्तमान में भूमि का स्वरूप कृषि स्वरूप नही होने और कृषि भूमि नही रहने के कारण माननीय न्यायालय को दावा हाजा सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने से वाद विधि अनुसार पोषणीय नही होने से निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय माननीय न्यायालय को मात्र वाद पत्र में वर्णित अभिवचन एव दस्तावेजों को ही देखना हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2008 0 AIR (SC) 3174 Kamala & Ors- versus K-T- Eshwara Sa & Ors- में विधिक

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि (a) Code of Civil Procedure] 1908–Order VII] Rule 11(d) - It must be shown that the suit is barred under any law and such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint - The issues on merit of the matter would not be within the realm of the court at that stage - The principles of res judicata, when attracted, would bar another suit in view of Section 12 of the Code, the court at that stage would not consider any evidence or enter into a disputed question of fact or law - In the event, the jurisdiction of the court is found to be barred by any law, the application for registration of plaint should be entertained.

15- Order VII, Rule 11(d) of the Code has limited application. It must be shown that the suit is barred under any law. Such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint. Different clauses in Order VII, Rule 11, in our opinion, should not be mixed up. Whereas in a given case, an application for rejection of the plaint may be filed on more than one ground specified in various sub-clauses thereof, a clear finding to that effect must be arrived at. What would be relevant for invoking clause (d) of Order VII, Rule 11 of the Code is the averments made in the plaint- For that purpose, there cannot be any addition or subtraction. Absence of jurisdiction on the part of a court can be invoked at different stages and under different provisions of the Code. Order VII, Rule 11 of the Code is one, Order XIV, Rule 2 is another.

16- For the purpose of invoking Order VII, Rule 11(d) of the Code, no amount of evidence can be looked into. The issues on merit of the matter which may arise between the parties would not be within the realm of the court at that stage. All issues shall not be the subject matter of an order under the said provision.

इसी प्रकार 20180 AIR(SCW) 2447 Chhotanben and Anr. Versus Kiritbhai Jalkrushnabhai Thakkar And Ors. में नीचे दर्ज विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि (a) Code of Civil Procedure, 1908 - Order VII Rule 11(d) - For a decision under Rule 11(d) only the averments in the plaint are germane - Written statement by respondents cannot be the basis to decide the application under Order VII Rule 11(d) & Sale deed dated 18th October, 1996 - Appellants coming to know about it in 2013 Trial court rightly opining that question of limitation is a triable issue & Which of the Articles from amongst Articles 56, 58, 59, 65 or 110 or any other Article of the Limitation Act will apply to the facts of the case, may have to be considered at the appropriate stage.

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

11- After having cogitated over the averments in the plaint and the reasons recorded by the Trial Court as well as the High Court, we have no manner of doubt that the High Court ommitted manifest error in reversing the view taken by the Trial Court that the factum of suit being barred by limitation, was a triable issue in the fact situation of the present case. We say so because the appellants (plaintiffs) have asserted that until 2013 they had no knowledge whatsoever about the execution of the registered sale deed concerning their ancestral property. Further, they have denied the thumb impressions on the registered sale deed as belonging to them and have alleged forgery and impersonation- In the conteÛt of totality of averments in the plaint and the reliefs claimed] which of the Articles from amongst Articles 56, 58, 59, 65 or 110 or any other Article of the Limitation Act will apply to the facts of the present case, may have to be considered at the appropriate stage.

12. What is relevant for answering the matter in issue in the context of the application under Order VII Rule 11(d) is to examine the averments in the plaint. The plaint is required to be read as a whole. The defence available to the defendants or the plea taken by them in the written statement or any application filed by them, cannot be the basis to decide the application under Order VII Rule 11(d). Only the averments in the plaint are germane. It is common ground that the registered sale deed is dated 18th October, 1996. The limitation to challenge the registered sale deed ordinarily would start running from the date on which the sale deed was registered- However, the specific case of the appellants (plaintiffs) is that until 2013 they had no knowledge whatsoever regarding execution of such sale deed by their brothers - original defendant Nos. 1 & 2, in favour of Jaikrishnabhai Prabhudas Thakkar or defendant Nos.3 to 6. They acquired that knowledge on 26-12-2012 and immediately took steps to obtain a certified copy of the registered sale deed and on receipt thereof they realised the fraud played on them by their brothers concerning the ancestral property and two days prior to the filing of the suit, had approached their brothers (original defendant Nos. 1 & 2) calling upon them to stop interfering with their possession and to partition the property and provide exclusive possession of half (1/2) portion of the land so designated towards their share. However, when they realized that the original defendant Nos.1 & 2 would not pay any heed to their request, they had no other option but to approach the court of law and filed the subject suit within two days therefrom. According to the appellants, the suit has been filed within time after acquiring the knowledge about the execution of the registered sale deed. In this context, the Trial Court opined that it was a triable issue and declined to accept the application filed by respondent No-1 (defendant No-5) for rejection of the plaint under Order VII Rule 11(d). That view commends to us.

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में विवादित भूमि कृषि होने एवं उस सम्बन्ध में वाद पत्र के साथ जमाबन्दी भी पेश की हैं, जिसमें विवादित भूमि कृषि भूमि के रूप में दर्ज हैं और उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध तरीके से खनन करने का कथन किया हैं और प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि में अवैध तरीके से खनन का कार्य करने से उक्त भूमि की प्रकृति परिवर्तित नही होती हैं और वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को ही आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय माननीय न्यायालय द्वारा कन्सीडर किया जाना हैं और इस सम्बन्ध में ऊपर दर्ज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीरों से यह स्थिति स्पष्ट हैं और वादग्रस्त भूमि वाद के अभिवचनों एवं जमाबन्दी से कृषि भूमि होना प्रमाणित हैं और ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय को ही दावा हाजा सुनने का श्रवण क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। मौजूदा वाद को पढने एवं जमाबन्दी देखने मात्र से स्पष्ट हैं कि विवादित भूमि कृषि भूमि हैं और उस कृषि भूमि से बेदखली, मीनस प्रोफीट एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं, जो वाद माननीय न्यायालय को ही सुनने का श्रवण क्षेत्राधिकार हैं और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज हैं।प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (24) का हवाला दिया हैं, उस धारा में भूमि को परिभाषित किया गया हैं।

5 (24) "land" shall mean land which is let or held for agricultural purposes or for purposes subservient thereto or as grove land or for pasturage, including land occupied by houses or enclosures situated on a holding or land covered with water which may be used for the purpose of irrigation or growing singhara or other similar produce but excluding abadi land; it shall include benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth.

उपरोक्त भूमि की परिभाषा से स्पष्ट हैं कि उक्त धारा में सिवाय आबादी भूमि के अलावा सभी भूमियों को सम्मिलित किया गया हैं। राजस्व न्यायालय की अधिकारिता का निर्धारण धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं इसके तहत बनी तृतीय अनुसूची से निर्धारित होता हैं। धारा 207 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट नीचे दर्ज अनुसार 207. Suits and applications cognizable by revenue court only - (1) All suits and application of the nature specified in the Third Schedule shall be heard and determined by a revenue court. (2) No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit or application or of any suit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suitor application.

वाद के साथ विवादित भूमि की जमाबन्दी पेश की गई हैं जिससे स्पष्ट हैं कि विवादित भूमि कृषि भूमि हैं और इस भूमि से बेदखली सम्बन्धी वाद की सुनवाई तृतीय अनुसूची के क्रम संख्या 23 के अनुसार राजस्व न्यायालय द्वारा ही की जा सकती हैं,

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

Sr No.	Sec of Act	Description of suit, application or appeal	Period of limitation	Time From period begins to run	Proper Court Fees	Court/Officer Competent to dispose of
23	183	Suit for ejectment of trespasser,	Twelve years	When the cause of action arises	One Rupee	Assistant Colletor

जो क्वारी लाईसेंस दिया गया वह निरस्त किया जा चुका हैं और यदि प्रतिवादीगण कोई खनन कार्य करना बताते हैं तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हैं। अविवादित रूप से विवादित भूमि कृषि भूमि हैं जो वाद में दर्ज तथ्यों एवं जमाबन्दी से स्पष्ट हैं और प्रतिवादीगण द्वारा इस भूमि के कृषि स्वरूप को नष्ट किया जा रहा हैं। इसके अलावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी बिन्दु का भी निर्णय जवाब दावा पेश करने के पश्चात् वाद बिन्दु कायम करने एवं शहादत दर्ज करने के पश्चात ही किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2009 1 **DNJ 410 Premi Devi (Smt.) Vs Deva Ram & Ors-** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैं कि भूमि यदि कृषि भूमि के रूप में रेकर्ड हैं और आबादी में परिवर्तित नही हुई हैं तो ऐसी स्थिति में वाद को सुनने का रेवेन्यू न्यायलय को ही अधिकार हैं:—

In view of the above reasons, the aforesaid judgments have no application to the facts of the case. The law in Rajasthan is very clear and it excludes the agricultural land from the jurisdiction of the civil court and there are law by which the agricultural land can be converted into Abadi land and mere fact that the agricultural land holder himself put the land for non-agricultural purpose is not sufficient for conversion of land from agricultural land to Abadi land. In Rajasthan, as per law, no agricultural land holder (Khatedar Tenant) can convert the agricultural land to Abadi land without permission of State. The taxation law may have deeming clauses for taxing the transaction and valuing the property, but same cannot be accepted while determining the jurisdiction of the civil court qua the jurisdiction of revenue court.

Learned counsel for the appellant also submitted that the defendant never contended that the land was cultivated, therefore it is not agricultural land, The argument is of no consequence in view of the fact that the nature of land is not dependent upon the fact that whether it is cultivated or not. When it is admitted case that land was not converted to Abadi from agricultural land and it is recorded as agricultural land in the revenue record, there is no merit in this appeal."

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

मौजूदा मामले में उक्त नजीर हूबहू चस्पा होती हैं। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि रूप में रेकर्ड हैं और प्रतिवादीगण द्वारा खनन कार्य करके इसके स्वरूप को नष्ट किया जा रहा हैं और प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ट्रैसपासर के रूप में काबिज होकर अनाधिकृत तरीके से खनन कार्य कर रहे हैं ऐसी स्थिति में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली, मीनस प्रोफीट, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जो वाद माननीय न्यायालय को ही सुनवाई का अधिकार हैं। अतः न्यायहित में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें। अन्य उचित आदेश जो वादी के पक्ष में हो सादिर फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। वादी द्वारा मुख्य रूप से यह वाद वादग्रस्त भूमि को स्वंय की रेकॉर्डेट खातेदारी की कृषि भूमि दर्शाते हुए बेदखली के अनुतोष की मांग की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत में विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 दिवानी प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय केवल मात्र वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का ही अवलोकन किया जाना वांछनीय है प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बचाव एवं दस्तावेज इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु कत्तई सुसंगत नहीं है वादी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र में वर्णित अनुसार वादग्रस्त भूमि बाबत् क्वारी लाइसेंस संख्या 11/99 सक्षम विभाग द्वारा जारी किया गया था। जिस पर निरंतर रूप से लाइसेंस के शर्तों की खिलाफवर्जी करते हुए खनन कार्य भी किया गया जिस लाइसेंस को खनन विभाग द्वारा दिनांक 03.02.2016 को निरस्त कर दिया गया तत्पश्चात भी प्रतिवादिगण द्वारा अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा है। वादी द्वारा निवेदन किये जाने के बावजूद भी खनन कार्य बन्द नहीं किया गया है। वाद ग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार वादी की खातेदारी की भूमि है जिस पर स्वीकृत रूप से वर्ष 1999 से किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में भूमि का स्वरूप कृषि दर्ज होने से धारा 5 (24) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिभाषा के अनुसार कृषि स्वरूप उक्त भूमि का नहीं रह जाता है। विशेषत जब वादी स्वयं यह अभिवचन लेकर उपस्थित हुआ है कि वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1999 से निरन्तर खनन कार्य किया जा रहा है। जिससे यह भी सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में कृषि योग्य रही ही नहीं है। प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाबत पत्रावली पर वादी द्वारा खसरा गिरदावरी भी प्रस्तुत नहीं की गई है मूल रूप से आपत्ति वादग्रस्त भूमि के उपयोग तथा स्वरूप को लेकर दर्ज करवाई गई है यदि वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार की कोई काश्त

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

की जाती तो उसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी में अवश्य ही किया जाता । विधि अनुसार जमाबंदी के इन्द्राजात एक खण्डनीय साक्ष्य है जिस कारण वाद पत्र में वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिवचनों से ही जमाबंदी के बाबत् किसी प्रकार की कोई उपधारणा धारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों से यह सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि का उपयोग तथा स्वरूप कृषि स्वरूप नहीं रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) के अनुसार इस न्यायालय को केवल मात्र उन भूमियों के संबंध में वाद के विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिन भूमियों का कृषि उपयोग किया जा रहा हो। पत्रावली के अवलोकन से यह सिद्ध है कि वर्ष 1999 से वादग्रस्त भूमियों पर कृषि कार्य नहीं किया जा कर खनन कार्य किया जा रहा है जिस कारण इस न्यायालय को वाद के विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है। यदि वादी की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है तो वादी खनिज विभाग एवं तहसीलदार जोधपुर के समक्ष चाराजोही के लिए स्वतंत्र रहेंगे ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार योग्य होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(पंकज कुमार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 4/9/24 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

4/9/24
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर